न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 08.03.2025

राजस्व वाद संख्या : 117 / 2024
निर्णय दिनांक : 08.03.2025
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 230 दायर दिनांक – 21.11.2024

अब्दुल मुनान उर्फ बाबूलाल पुत्र अहमदा उर्फ हाजी अहमद जाति रंगरेज निवासी वार्ड नं. 30, ड्रीमलाईट सिनेमा के पास, कस्बा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–
1. श्री रणजीत भारी एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 185 खसरा संख्या 386 / 291 तादादी 5.5638 हैक्टेयर वाके रोही गुलेरिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी के पिता अहमदा उर्फ हाजी अहमद फौत होने पर उनके वारिसान का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम बाबूलाल पुत्र अहमदा के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम अब्दुल मुनान पुत्र हाजी अहमद है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र अहमदा जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम अब्दुल मुनान पुत्र हाजी अहमद जाति रंगरेज है। अब्दुल मुनान व बाबूलाल दोनों एक ही व्यक्ति

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बाबूलाल पुत्र अहमदा के स्थान पर अब्दुल मुनान पुत्र हाजी अहमद किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति, जनाधार कार्ड की फोटो प्रति, निर्वाचन विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम अब्दुल मुनान पुत्र हाजी अहमद अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत खाता संख्या 185 खसरा संख्या 386/291 तादादी 5.5638 हैक्टेयर वाके रोडी गुलेरिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र अहमदा जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ के स्थान पर अब्दुल मुनान पुत्र हाजी अहमद जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 08.03.2025

अब्दुल मुनान बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 117 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री रणजीत भारी एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत खेत खाता संख्या 185 खसरा संख्या 386/291 तादादी 5.5638 हैक्टेयर वाके रोही गुलेरिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र अहमदा जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ के स्थान पर अब्दुल मुनान पुत्र हाजी अहमद जाति रंगरेज निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो। .... बावत .... चीज ....मुबलिग .... फीसदी खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 08 **माह** 03. 2025

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये